



2026:AHC:166282

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27659 सन् 2026

सिद्धार्थ

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक की ओर से अधिवक्ता	:	भुवनेश कुमार सिंह
विपक्षी पक्षकार की ओर से अधिवक्ता	:	अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. सूचनादाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद अफजल ने अपना वकालतनामा दाखिल किया, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री भुवनेश कुमार सिंह, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद अफजल तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम श्री विजय कुमार को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें थाना शिवाला कलां, जनपद बिजनौर में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1) एवं 3(5) के अंतर्गत

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पंजीकृत अपराध संख्या 66 सन् 2026 में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में सह-अभियुक्त सिंटू उर्फ सचिन तथा प्रियंशु चौहान सहित तीन अन्य व्यक्तियों के साथ नामित है, किंतु अभिलेख से परिलक्षित होता है कि सह-अभियुक्त प्रियंशु चौहान मुख्य अभियुक्त था, जिसने अग्नेयास्त्र से चोट कारित करके मृतक की हत्या की।

5. उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि समस्त तथ्यों पर विस्तृत रूप से विचार करने के पश्चात भी सह-अभियुक्त सिंटू उर्फ सचिन को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.08.2026 को वर्ष 2026 के आदेश संख्या 27417 द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है तथा आवेदक का वाद उसके समान ही है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वर्तमान वाद में वह दिनांक 22.05.2026 से अर्थात् पिछले दो माह से अधिक समय से कारागार में निरुद्ध है।

7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि वास्तव में वर्तमान वाद के अतिरिक्त आवेदक का एक अन्य वाद में भी आपराधिक इतिहास है, किंतु उन्होंने निष्पक्षतापूर्वक स्वीकार किया कि वह वाद लघु प्रकृति के अपराध से संबंधित है।

8. तथापि, वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत किए गए अन्य तर्क का खंडन नहीं कर सके।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा वाद के अभिलेख का परिशीलन किया।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यद्यपि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में तीन अन्य व्यक्तियों के साथ नामित है, किंतु मृतक को अग्नेयास्त्र से चोट कारित करने की भूमिका सह-अभियुक्त प्रियंशु चौहान को सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, सह-अभियुक्त सिंटू उर्फ सचिन को भी इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा आवेदक का वाद उसके समान है।

11. आगे, यद्यपि यह परिलक्षित होता है कि वर्तमान वाद के अतिरिक्त आवेदक का एक अन्य वाद में आपराधिक इतिहास है और उसने वर्तमान जमानत आवेदन में अपने आपराधिक इतिहास का प्रकटीकरण नहीं किया है, किंतु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह वाद लघु प्रकृति के अपराध से संबंधित है, इस न्यायालय की दृष्टि में आवेदक के पूर्व आपराधिक इतिहास के अप्रकाशित रहने के आधार पर उसकी जमानत याचिका को रोकना उचित नहीं है।

12. इसके अतिरिक्त, आवेदक वर्तमान वाद में दिनांक 22.05.2026 से अर्थात् पिछले दो माह से अधिक समय से कारागार में निरुद्ध है।

13. अतः, ऊपर उल्लिखित वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे मत में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

14. तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. आवेदक-सिद्धार्थ को उपर्युक्त वाद में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

16. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक, जो जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित हैं, सीमित हैं तथा उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

10 अगस्त, 2026

एस.के.एम.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।